न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/773 दिनांक 21/05/25

अनवान :—

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
दोली	बनाम	राजूराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. **212/2024** दिनांक : **21.05.2025**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा सुकालिया के खेत खसरा सं. 898, 1065/893 रकबा क्रमशः 21.0436, 05.0586, हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थिगण के हितो पर कुठाराघात न हो, प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीस रूपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2025/774 to 777 दिनांक 21/05/2025

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीनी दोली
3. विप्रार्थीगण राजूराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ/सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.06 08:48:47 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन